अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 7331
दिनांक 27/8/15

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 6/8/2015

क्रमांक/1811/2841/2015/सत्रह/मेडि–1 :: इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–2/2011/सत्रह/मेडि–1 दिनांक 19.04.2011 द्वारा डॉ सोनल राठौर को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर जिला चिकित्सालय बडवानी में पदस्थ किया गया था जिसके पालन में डॉ राठौर द्वारा दिनांक 30.07.2011 को कार्यभार ग्रहण उपरांत डी.एन.वी. अध्ययन पूर्ण करने हेतु अनुमति चाही थी अनुमति प्राप्त न होने के कारण डॉ राठौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका कमांक 7427/2011 दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के निर्णय दिनांक 13.02.2012 में दिये गये निर्देश में दी गई समयावधि दिनांक 30.09.2012 के बाद भी अनाधिकृत अनुपस्थित रहीं।

2/– डॉ राठौर से प्राप्त अभ्यावेदन पर पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सोनल राठौर, चिकित्सा अधिकारी की सेवाऐं अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 6/8/15
(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

25 AUG 2015
आवक क्रमांक 1822

पृ.क्रमांक/1812/2841/2015/सत्रह/मेडि–एक भोपाल,दिनांक 6/8/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
7. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट में अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, जन सम्पर्क बाणगंगा भोपाल।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर मध्यप्रदेश।
11. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बडवानी मध्यप्रदेश।
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बडवानी मध्यप्रदेश।
13. जिला कोषालय अधिकारी, बडवानी मध्यप्रदेश।
14. संबंधित–डॉ. सोनल राठौर, चिकित्सा अधिकारी, 206 बैराठी कॉलोनी नं.–2 इंदौर म.प्र.।
15. आदेश नस्ति।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 6 /8/2015

क्रमांक/ 1811 /2841/2015/सत्रह/मेडि–1 :: इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–2/2011/सत्रह/मेडि–1 दिनांक 19.04.2011 द्वारा डॉ सोनल राठौर को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर जिला चिकित्सालय बडवानी में पदस्थ किया गया था जिसके पालन में डॉ राठौर द्वारा दिनांक 30.07.2011 को कार्यभार ग्रहण उपरांत डी.एन.वी. अध्ययन पूर्ण करने हेतु अनुमति चाही थी अनुमति प्राप्त न होने के कारण डॉ राठौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक 7427/2011 दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के निर्णय दिनांक 13.02.2012 में दिये गये निर्देश में दी गई समयावधि दिनांक 30.09.2012 के बाद भी अनाधिकृत अनुपस्थित रहीं।

2/– डॉ राठौर से प्राप्त अभ्यावेदन पर पूर्ण विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सोनल राठौर, चिकित्सा अधिकारी की सेवाऐं अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/8/15
(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक/ 1812/2841/2015/सत्रह/मेडि–एक भोपाल,दिनांक 6/8/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
7. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट में अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, जन सम्पर्क बाणगंगा भोपाल।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर मध्यप्रदेश।
11. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बडवानी मध्यप्रदेश।
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बडवानी मध्यप्रदेश।
13. जिला कोषालय अधिकारी, बडवानी मध्यप्रदेश।
14. संबंधित–डॉ. सोनल राठौर, चिकित्सा अधिकारी, 206 बैराठी कॉलोनी नं.–2 इंदौर म.प्र.।
15. आदेश नस्ति।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

6/8/15
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

//Surjeet//Term O

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

<u>–:: आदेश ::–</u>

भोपाल, दिनांक /2/2015

क्रमांक / /515/2015/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह, चिकित्सा अधिकारी, एम0एस0सर्जरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटई जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पूर्व विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 महेन्द्र प्रताप सिंह, चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 5.1.2015 से अनिवार्य सेवा निवृत्ति किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 269 /515/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 13/2/2015

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेज कर अनुरोध है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र. ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र. ।
8. डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह, चिकित्सा अधिकारी, एम0एस0सर्जरी, प्रा0स्वा0के0 पाटई, जिला ग्वालियर।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/2
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare